सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 28 / प्रा0पत्र / 2025

दायरा दिनांक :–23.01.2025

1. दयाराम लाल आ0 भूराराम जाति मीणा निवासी मीणा का बरडा, ढगारिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :– एकतरफा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी राज

दिनांक :– 30 / 04 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या नया 319 पुराना 305 की भूमि खसरा संख्या 1626, 1629, 1630, 1631, 1632, 1673, 1674, 1675, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 951, 952, 954, 967, 968 कुल किता 20 कुल रकबा 3.7716 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है, जो प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी को बाल्यकाल अवस्था में घर पर देराम के नाम से पुकारते थे इस कारण प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के घर पर आये बिना व सही जानकारी किये बिना राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के घरेलू नाम देराम पुत्र भूरा के नाम का इन्द्राज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम दयाराम लाल पिता भूराराम है, इसलिए हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचाने पत्र, बैंक डायरी, राशन कार्ड, पेनकार्ड, जॉबकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम दयाराम लाल पिता

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

भूराराम दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम देराम पिता भूरा दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम दयाराम लाल पिता भूराराम है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी दयाराम लाल पिता भूराराम है । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर देराम पिता भूरा के स्थान पर दयाराम लाल पिता भूराराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने पटवारी हल्का के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 05.01.2025 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम देराम पिता भूरा के इन्द्राज को दुरूस्त करवारक दयाराम लाल पिता भूराराम दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम दयाराम लाल पिता भूराराम दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड आफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या नया 319 पुराना 305 की भूमि खसरा संख्या 1626, 1629, 1630, 1631, 1632, 1673, 1674, 1675, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 951, 952, 954, 967, 968 कुल किता 20 कुल रकबा 3.7716 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम देराम पिता भूरा के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर दयाराम लाल पिता भूराराम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/745 दिनांक :–07.04.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम उमर की भूमि खाता संख्या 319 में दर्ज अपने नाम देराम पुत्र भूरा के स्थान पर दयाराम लाल पिता भूराराम शुद्ध करवाना चाहता है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खाता नम्बर में दर्ज सहखातेदार देराम पुत्र भूरा व दयाराम लाल पिता भूराराम एक ही व्यक्ति के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

नाम है। जिनको देराम पुत्र भूरा के स्थान पर दयाराम लाल पिता भूराराम शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम दयाराम लाल पिता भूराराम है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारतीय थल सेना केन्टीन स्मार्ट कार्ड, बैंक खाता डायरी पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम दयाराम लाल पिता भूराराम दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर के खाता संख्या 319 में दर्ज सहखातेदार देराम पुत्र भूरा के स्थान पर दयाराम लाल पिता भूराराम शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 30.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)